Australian Government
Department of Agriculture and Water Resources

आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण स्कीम

कृषि और जल संसाधन विभाग देश में प्रवेश करने वाले विदेशी कीटों तथा रोगों के जोखिमों का प्रबंधन करके ऑस्ट्रेलिया के खाद्य पदार्थ उत्पादकों की सुरक्षा में सहायता करता है।

यह विभाग आयातित खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करके यह जांच करता है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की ऑस्ट्रेलियाई आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और ऑस्ट्रेलिया न्यू ज़ीलैंड खाद्य पदार्थ मानक कोड (Australia New Zealand Food Standards Code) में दिए गए वर्णन के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप है। यह कोड बिक्री हेतु सभी खाद्य पदार्थों के लिए लागू होता है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया में निर्मित खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

आयातित खाद्य पदार्थों की खाद्य सुरक्षा निरीक्षण का कानूनी आधार आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 1992 (Imported Food Control Act 1992) है और इस अधिनियम के अंतर्गत लागू मानक वे हैं जिन्हें कोड में निर्धारित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत आयातक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आयात किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ कोड में दिए गए समस्त संबंधित मानकों के अनुसार हैं।

इस विधान में विभाग को खाद्य पदार्थ सुरक्षा निरीक्षण कार्यक्रम का संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसे आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण स्कीम (आईएफआईएस) कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत टैरिफ कोड्स के आधार पर आव्रजन और सीमा सुरक्षा विभाग द्वारा आईएफआईएस के अंतर्गत खाद्य पदार्थों का निरीक्षण के लिए निर्दिष्टिकरण किया जाता है।

विश्लेषणात्मक जांच के परिणामों सहित आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण डेटा का सारांश (Summaries of imported food inspection data) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है।

विभाग की आयातित खाद्य पदार्थ जांच के अलावा, राज्य और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं कि आयातित खाद्य पदार्थों सहित समस्य खाद्य पदार्थ बिक्री के समय (बिन्दु या स्थल पर) कोड की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोड से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले खाद्य पदार्थ को पुन:निर्यात, नष्ट, जहां संभव हो उसका प्रसंस्करण या उसे डाउनग्रेड किया जाना चाहिए।

(जोखिम खाद्य पदार्थ) Risk food

फूड स्टेण्डर्ड्स ऑस्ट्रेलिया न्यू ज़ीलैंड (एफएसएएनजैड) द्वारा विभाग को उन आयातित खाद्य पदार्थों के बारे में सलाह दी जाती है (advice to the department on imported foods) जिससे लोगों के स्वास्थ्य

को मध्यम से उच्च जोखिम होता है। विभाग द्वारा निरीक्षण स्कीम के अंतर्गत ऐसे खाद्य पदार्थों को 'जोखिम खाद्य पदार्थों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जोखिम खाद्य पदार्थों को आव्रजन और सीमा सुरक्षा विभाग द्वारा विभाग के पास भेजा जाता है। प्रारम्भिक तौर पर जोखिम खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया जाता है और उनकी जांच सूक्ष्म जीवों और संदूषकों सहित संभावित जोखिमों की प्रकाशित सूची की तुलना में कन्साइन्मेंट्स की 100 प्रतिशत दर पर की जाती है। जब 5 लगातार कन्साइन्मेंट्स निरीक्षण में सही पाए जाते हैं, तो निरीक्षण की दर को 25 प्रतिशत किया जा सकता है; इसके बाद 20 लगातार सही पाए जाने पर निरीक्षण दर को 5 प्रतिशत किया जा सकता है।

जोखिम खाद्य पदार्थ 'जांच और धारण' दिशा निर्देश के अधीन आते हैं और जब तक जांच परिणामों की जानकारी नहीं मिल जाती है, उन्हें रिलीज़ (जारी) नहीं किया जाता है। जोखिम खाद्य पदार्थों के वे कन्साइन्मेंट्स जो निरीक्षण में विफल रहते हैं और इस कारणवश वे ऑस्ट्रेलियाई मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, उनका आयात नहीं किया जा सकता है। इन खाद्य पदार्थों को अनुपालन के तहत लाना चाहिए, अन्यथा खाद्य पदार्थों को पुन:निर्यात या नष्ट करना होगा।

किसी कन्साइन्मेंट के जांच में विफल रहने पर जाँच की दर 100 प्रतिशत पर तबतक वापिस कर दी जाएगी जबतक कि खाद्य पदार्थ के उत्पादक के लिए अनुपालन के इतिहास की पुन:स्थापना नहीं कर दी जाती है।

सतर्कता खाद्य पदार्थ (Surveillance food)

अन्य सभी खाद्य पदार्थ जिन्हें मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निम्न जोखिम वाला माना जाता है, उन्हें 'सतर्कता खाद्य पदार्थों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सतर्कता खाद्य पदार्थ के प्रत्येक कन्साइन्मेंट के संबंध में 5 प्रतिशत संभावना होती है कि उन्हें निरीक्षण के लिए भेजा जाए, ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि वे ऑस्ट्रेलियाई खाद्य पदार्थ मानकों का अनुपालन करते हैं।

सतर्कता खाद्य पदार्थ कन्साइन्समेंट्स का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है और उन कन्साइन्मेंट्स को जांच के लिए भेजने का काम आव्रजन और सीमा सुरक्षा विभाग की एकीकृत कार्गो प्रणाली (आईसीएस) [Department of Immigration and Border Protection's Integrated Cargo System (ICS)] में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइलों का उपयोग करके किया जाता है। आयातक, उत्पादक या माल के उद्गम के देश जैसी जानकारी से यादृच्छिक चयन और सतर्कता खाद्य पदार्थ को जांच के लिए भेजना (रेफरल) प्रभावित नहीं होता है। यह संभव है कि यदि कोई आयातक जो सतर्कता आहार (यानि समान टैरिफ समूह में निम्न जोखिम खाद्य पदार्थ) के समान कन्साइन्मेंट्स का नियमित रूप से आयात करता है, तो ऐसी स्थिति में इस बात की अधिक संभावना है कि ऐसे कन्साइन्मेंट्स को यादृच्छिक प्रोफाइलिंग के लिए भेजा जाएगा।

सतर्कता खाद्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण स्वीकार्य स्तरों से अधिक कीटनाशकों और एंटिबायोटिक्स, सूक्ष्म जैविक संदूषकों, प्राकृतिक विषाक्त तत्वों, धात्विक संदूषकों और फूड एडिटिव्स के लिए किया जा सकता है।

चूँकि सतर्कता खाद्य पदार्थों को निम्न जोखिम वाला माना जाता है, इसलिए वे 'जांच और रिलीज़' दिशा निर्देश के अधीन आते हैं और जांच परिणामों को प्राप्त करने से पहले उन्हें बिक्री के लिए वितरित किया जा सकता है।

यदि जांच के परिणाम प्रतिकूल होते हैं, तो संबंधित राज्य या प्रादेशिक खाद्य पदार्थ विनियामक प्राधिकरण को इस बात की सलाह दी जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या खाद्य पदार्थ को बाज़ार से वापिस मंगवाए जाने की आवश्यकता है। आयातक द्वारा जारी किए गए किसी भी माल से संबंधित कोई भी कार्य, जैसे बाज़ार से खाद्य पदार्थ को वापिस मंगाना या हटा लेना, आयातक के खर्चे पर किया जाता है।

निरीक्षण में सही नहीं पाए गए सतर्कता खाद्य पदार्थ के संबंध में निरीक्षण दर को तब तक 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता है जब तक कि खाद्य पदार्थ के उत्पादक या आयातक के लिए अनुपालन के इतिहास की पुष्टि न कर ली जाए। सतर्कता खाद्य पदार्थ के निरीक्षण को बढ़ाने की प्रक्रिया को 'धारण आदेश (होल्डिंग आर्डर)' लागू करने के रूप में जाना जाता है। धारण आदेश तब तक बना रहता है जब तक कि अनुकूल जांच परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते हैं। पांच बार निरन्तर सफल रहने के बाद, रेफरल दर फिर से 5 प्रतिशत कन्साइन्मेंट हो जाती है।

निरीक्षण के दौरान क्या होता है? (What happens during an inspection?)

जब आयातित खाद्य पदार्थ के किसी कन्साइन्मेंट को निरीक्षण के लिए भेजा जाता है, तो निरीक्षण में आँखों से/लेबल आकलन शामिल होगा और इसमें विश्लेषणात्मक जांचों के अनुप्रयोजन के लिए खाद्य पदार्थों का नमूनाकरण भी किया जा सकता है। जोखिम खाद्य पदार्थ के संबंध में की जाने वाली जांच (Tests applied to risk food) और सतर्कता खाद्य पदार्थ के संबंध में की जाने वाली जांच (Tests applied to surveillance food) देखें।

कोड में अनेक मानक हैं और सभी मानकों के संदर्भ में निरीक्षण करना संभव नहीं होता है, खास-तौर से निम्न जोखिम खाद्य पदार्थों के संबंध में। विभाग द्वारा आयातित खाद्य पदार्थों की जांच समस्त मानकों के अनुरूप नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा मानकों के आधार पर की जाती है।

लागू किए जाने वाले परीक्षण वर्ष दर वर्ष बदल सकते हैं, ताकि विभाग द्वारा समय के साथ-साथ विभिन्न मानकों के संबंध में अनुपालन की जांच की जा सके। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जहां खाद्य पदार्थों के जोखिम आकलन के बाद FSANZ विभाग को विशिष्ट जोखिम खाद्य पदार्थ के संबंध में अनुप्रयोजित किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षणों की सलाह देता है।